ग्राम पंचायत खरगा, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.21 से 31.03.23
भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत खरगा, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखों का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री नेसू राम विमल	01-04-21 से 31-03-23

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री धनी राम	01-04-21 से 05-06-23
2	श्री हीरा नन्द	06-06-23 से 31-03-23

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत खरगा के लेखों अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर का समाधान न करने बारे	5.62
2	5 (क)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	26.99
3	6 (क)	पंचायत राजस्व गृह कर की प्राप्त योग्य राशि की वसूली न करना	0.89
4	7	सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के आदेशों की अवेहलना करके निर्माण कार्यों व सामग्री पर व्यय करने बारे ।	40.40
5	8	मनरेगा निधि से निष्पादित निर्माण कार्य की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना ।	22.26
6	9	SBM निधि से मशीन के क्रय करने से सम्बन्धित अनियमित्ताओं बारे	10.66
7	10(क)	मद संख्या 12 जो वस्तुतः " Providing and fixing 20mm thick Plain framed panelling with necessary screws etc. with 1st class kail wood " के निष्पादन में सम्भावित का अनियमित / अधिक भुगतान ।	0.47
8	10 (ख)	आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण अनियमित भुगतान करना	1.35

भाग- दो

2 (क) वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत खरगा, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री संतोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 11-03-24 से 19-03-24 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया । लेखों की विस्तृत पड़ताल हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	12/21	07/21
2022-23	03/23	03/23

अस्वीकरण:- अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत खरगा, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या एस. के./के.एल.यू./एस.ए.डी./ 2024-40 दिनाँक 19-03-24 द्वारा अनुरोध किया गया है। जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा।

4 **वित्तीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत खरगा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्रोत व अन्य अनुदान (Inculding 5th State) :- ग्राम पंचायत खरगा के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की स्व: स्त्रोतों व अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

Financial position of Own Sources and 5th state of Gram Panchyat Kharga					
Year	**Opening Balance (₹)**	**Income (₹)**	**Total (₹)**	**Expenditure (₹)**	**Closing Balance (₹)**
2021-22	1421858.26	355097	1776955.26	798276.7	978678.56
2022-23	978678.56	397336	1376014.56	286151	1089863.56

(ii)अनुदान:- ग्राम पंचायत खरगा के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

Financial position of grants including 14th F.C. of Gram Panchyat Kharga					
Year	Opening Balance (₹)	Income (₹)	Total (₹)	Expenditure (₹)	Closing Balance (₹)
2021-22	3164397	4879999	8044396	6299157	1745239
2022-23	1745239.0	3209292	4954531	4016518	938013

(iii) 15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत खरगा के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

Financial position of 15 th FC of Gram Panchyat Kharga					
Year	Opening Balance (₹)	Income (₹)	Total (₹)	Expenditure (₹)	Closing Balance (₹)
2021-22	802902	1066108	1869010	0	1869010
2022-23	1869010	1361360	3230370	1468807.00	1761563.00

बैंक समाधान विवरणी	
स्वः स्रोत व अन्य अनुदान	
दिनाँक 31.03.23 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	1089863.56
अनुदान :-	
दिनाँक 31.03.23 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	2699576.00
स्वः स्रोत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष	3789439.56
कुल योग रोकड़ बही (1)	**3789439.56**
दिनाँक 31.03.23 को हस्तगत रोकड़ राशि का अंत शेष	2519.00
दिनाँक 31.03.23 को बैंक खातों में अन्तिम शेष (**परिशिष्ट – घ**)	4349407.00
कुल योग (बैंक व रोकड़ जमा)	**4351926.00**
अंतर की राशि	**-562486.44**

(iv) मनरेगा निधि

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	0	12155290.2	0	12155290.2	12155290.2	0
2022-23	0	9865144	0	9865144	9865144	0

4.1 e- Gram swaraj में संधारित रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹5.62 लाख का समाधान न करने बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान सम्पत्ति इत्यादि का इंद्राज करना था। पंचायत के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में **e- Gram swaraj** में संधारित रोकड़ बही कुल प्राप्तियाँ व कुल खर्चो को दर्ज किया गया था परंतु बैंक खातों में से मिलान नहीं किया गया था । इस प्रकार **e- Gram swaraj** एप्लीकेशन Portal के अंतर्गत दर्ज आंकड़ो का वास्तविक प्राप्तियों के आंकड़ो से मिलान न होने पर बैंक शेष व **e- Gram swaraj** रोकड़ बही मे अंतर के कारण **e- Gram swaraj** रोकड़ बही में दर्ज आंकड़ो के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकती । परिणामस्वरूप पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) के अंतर्गत प्रारम्भ की गयी इस एप्लीकेशन को परिपूर्ण करने का उद्देश्य निष्फल रहा तथा रोकड़ बही व प्रिआसॉफ्ट में लेखो के सही होने की पुष्टि लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकती। अत: ग्राम पंचायत की **e- Gram swaraj** में संधारित रोकड़ बही तथा बैंक खातों में कुल **₹562486.44** का अंतर पाया गया जिसका पंचायत द्वारा समाधान नहीं किया गया था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है | उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-30 दिनाँक 12-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैंक खातों व रोकड़ बही का मिलान नियमानुसार किया जाएगा व अनुपालना से अंकेक्षण को

अवगत करवा दिया जाएगा । अतः रोकड़ बही शेष व बैंक शेष का मिलान सुनिश्चित करके, अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 दिनाँक 31-03-2023 को ₹0.03 लाख की रोकड़ राशि को हस्तगत रखना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) व 10(3) के प्रावधानानुसार रोकड़ बही का लेखांकन करते समय आवश्यक एहतियात नहीं बरती गई थी। ग्राम पंचायत की प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वः स्रोत के रूप में प्राप्त की गई **₹2519/-** की राशि को हस्तगत रोकड़ के रूप में रखा गया था परन्तु उपरोक्त राशि को दिनाँक 31-03-2023 तक बैंक में जमा नहीं करवाया गया था जोकि वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है तथा साथ ही पंचायत निधि के अस्थायी दुरुपयोग की संभावना को भी दर्शाता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-31 दिनाँक 13-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि हस्तगत रोकड़ राशि की जांच की जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ के रूप में प्राप्त राशि को बैंक में जमा कर दिया जाएगा । अत : दिनाँक 31-03-23 तक हस्तगत राशि का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उपरोक्त राशि को शीघ्र पंचायत निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए ।

4.3 खाता 'क' तथा 'ख' को सही से नियमानुसार संधारित न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखे, बजट, संपरीक्षण, संकर्मों, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा खाता 'क' तथा 'ख' अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित है । नियम 3 में संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय ग्राम पंचायत के अपनी आय के स्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा। यह खाता पंचायत निधि खाता 'क' के रूप में माना जायगा। इस तरह नियम 3 में संहिता सख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियों और ऋण मानी जाएगी । इस आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा और यह पंचायत का खाता 'ख' माना जायगा। अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत खरगा, विकास खण्ड निरमंड, जिला कुल्लू (हि० प्र०) में पंचायत द्वारा खाता 'क' तथा 'ख' को अलग से संधारित तो

किया था परन्तु खाता 'ख' की राशि को खाता 'क' में भी जमा किया गया था। अत: खाता 'क' तथा 'ख' को नियमानुसार संधारित न करने पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखे, बजट, संपरीक्षण, संकर्मो, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी है।

उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-33 दिनाँक 13-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत : परामर्श दिया जाता है कि नियम 3 में संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित अपनी आय की अलग से खोली गई रोकड़ बही में तथा बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे कि दोनों खातो में प्राप्त आय तथा व्यय की जाँच सही से की जा सके। इस सन्दर्भ में की गई अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 **(क) अनुदान ₹26.99 लाख का उपयोग न करना :-**

सचिव, ग्राम पंचायत खरगा द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनाँक 31.03.23 तक अनुदान ₹26,99,576.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। जिसका विवरण **पैरा संख्या 4 (ii)**व **(iii)**में दिया गया है जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 9 की अवहेलना है। अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। वर्ष 2022-23 के दौरान अवरोधित अनुदान का विवरण निम्न प्रकार से है :-

Sr. No.	Name of Funduing agency	Name of Head	Opening Balance (₹)	Grant Received During the year (₹)	Total (₹)	Expenditure (₹)	Unutilized amount (₹)
1	SFC	15th FC	1869010	1361360	3230370	1468807.00	1761563.00
2	BDO/SFC	14th FC, SDP, SDRF, VKVNY, BASP	1745239.0	3209292	4954531	4016518	938013
						Total	**2699576**

(ख) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना:-

ग्राम पंचायत खरगा द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2021** से **31.03.2023** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹0.89 लाख की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ङ)** अनुसार **₹89000** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) स्व : स्रोत से प्राप्त आय ₹0.06 लाख की राशि को पंचायत निधि में जमा न करके व्यय करने बारे :-

ग्राम पंचायत खरगा, विकास खण्ड निरमंड, जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 01-04-21 से 31-03-23 के अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा स्व : स्रोत से प्राप्त आय के रूप में वसूली की गयी ₹5838 की राशि को पंचायत निधि में जमा करवाए बिना ही व्यय किया गया था जबकि नियमानुसार उपरोक्त राशियों को निधि में जमा किया जाना अपेक्षित था । पंचायत द्वारा इन राशियों को निधि में जमा कराए बिना ही खर्च कर दिया जोकि सरकारी धन के दुरुपयोग को दर्शाता है । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रसीद संख्या	दिनाँक	स्व : स्रोत से प्राप्त आय का विवरण	राशि (₹)	व्यय की गई राशि (₹)	टिप्पणी
1	24649-50	12-04-21	विवाह पंजीकरण शुल्क	400		
2	24658-59	31-05-21	विवाह पंजीकरण शुल्क	400		
3	24660	05-06-21	विवाह पंजीकरण शुल्क	200		
4	24662	25-06-21	विवाह पंजीकरण शुल्क	200	980	OE
5	24663 to 24665	06-07-21	विवाह पंजीकरण शुल्क	400		
6	24666 to 67	24-07-21	विवाह पंजीकरण शुल्क	400	990	OE
7	24671	25-08-21	विवाह पंजीकरण शुल्क	200	397	OE
8	24682	25-11-21	विवाह पंजीकरण शुल्क	200		
9	24690	05-12-21	विवाह पंजीकरण शुल्क	200		
10	24691-92	11-12-21	विवाह पंजीकरण शुल्क	400	650	Tonner Refill
11	24682	24-12-21	विवाह पंजीकरण शुल्क	200		
12	26905	23-02-22	विवाह पंजीकरण शुल्क	200		
13	26910	05-03-22	विवाह पंजीकरण शुल्क	200		
14	26918	08-04-22	भू -राजस्व	490		
15	26917	08-04-22	भू -राजस्व	290		
16	26928	19-06-22	विवाह पंजीकरण शुल्क	200	390	Numberdaar Payment
17	26944	29-09-22	RTI Fee	213		
18	26949	05-12-22	विवाह पंजीकरण शुल्क	200		
19	26950	20-12-22	भू -राजस्व	245		
20	26951	20-12-22	विवाह पंजीकरण शुल्क	200	400	Tonner Refill
21	26954	24-01-23	विवाह पंजीकरण शुल्क	200		
22	26961	24-03-23	विवाह पंजीकरण शुल्क	200		
Total				**5838**	**3807**	

उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024- 39 दिनाँक 19-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस संबंध में उचित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा तथा इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत: उपरोक्त राशि को बैंक में जमा न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी राशि की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए व जो राशियाँ सरकारी राजकोष आय शीर्ष से सम्बन्धित है, सरकारी राजकोष में उचित शीर्ष के अन्तर्गत जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400 की कम वसूली करना :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनाँक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹**200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए **₹** 400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 01.04.21 से 31.03.2023 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹400** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रसीद संख्या / दिनाँक	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तारीख	विवाह पंजीकरण की तारीख	भुगतान योग्य देय राशि (₹)	भुगतान की गई राशि (₹)	अन्तर (₹)
1	24690/ 05-12-21	Pushpa Devi D/o Sh. Tedi singh	31-10-21	05-12-21	400	200	200
2	26928/ 19-06-22	Smt. Asha devi D/o Sh. Chaman Lal	18-05-22	19-06-22	400	200	200
						Total	**400**

सचिव, ग्राम पंचायत खरगा को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024- 39 दिनाँक 19-03-24 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली राशि को वसूल करके

पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

7. सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के आदेशों की अवेहलना करके ₹40.40 लाख के निर्माण कार्यों व सामग्री पर व्यय करने बारे :-

सचिव, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या –RDD-XEN-/2018 – e-tendring दिनाँक जुलाई 2018 के अनुसार **₹**5.00 लाख से अधिक के सामान के क्रय करने व निर्माण कार्य करने हेतु e-Tendering की प्रक्रिया को अपनाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत खरगा के विभिन्न भुगतान वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि संलग्न विवरणानुसार कुल **₹**4040697/- के कार्य जिनका स्वीकृत मूल्य **₹**5.00 लाख से अधिक था उस सामान के क्रय करने व निर्माण कार्यों को करने हेतु e-Tendering को avoid करके साधारण कोटेशन आमंत्रित की गयी थी तथा साथ ही टेंडर सम्बन्धी सूचना (Tender Notice) किसी प्रतिष्ठित व National News Paper में प्रकाशित नहीं की गई थी, जोकि जानबूज कर e-Tendering प्रक्रिया को न अपनाना किसी व्यक्ति/विक्रेता विशेष को अनुचित लाभ दिए जाने की स्थिति को परिलक्षित करता है, जिस कारण निर्माण कार्य/अथवा क्रय की गई सामग्री में दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नही किया जा सकता। जिसका विवरण **परिशिष्ट (च)** में संलग्न है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-35 दिनाँक 16-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत : e-Tendering की प्रक्रिया को न अपनाए जाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, उक्त करवाये गये कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम प्राधिकारिणी से प्राप्त की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. मनरेगा निधि से निष्पादित निर्माण कार्य ₹22.26 लाख की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के प्रावधानानुसार सभी संकर्म/वर्क्स कार्य जिनकी लागत ₹ 50,000 से

अधिक है को पंचायत द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन व प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही निष्पादित किया जाना अपेक्षित है तथा ₹25,000 से कम के संकर्म/वर्क्स कार्य के लिए अनुमानित लागत प्राक्कलन (Rough work estimate) तैयार किया जाना अपेक्षित है परन्तु मनरेगा निधि के चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में **₹2225977/-** के मस्ट्रोलों का भुगतान किया गया था परंतु भुगतान किए गए मस्ट्रोलों से सम्बन्धित माप पुस्तिका को अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। मस्ट्रोलों हेतु भुगतान की गई राशि की तुलना माप पुस्तिका के साथ नहीं की जा सकी जिसके अभाव में यह ज्ञात करना कठिन है कि जिस कार्य हेतु राशि का भुगतान किया है वास्तविक में उस राशि के बराबर कार्य किया गया है अथवा नहीं। जिस कारण ग्राम पंचायत खरगा द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में मनरेगा निधि से किए गए मस्ट्रोलों के भुगतान राशि की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं किया जा सका व अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना संदिग्ध व अनुचित प्रतीत होता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	**मस्ट्रोल संख्या**	**माप पुस्तिका संख्या**	**भुगतान की गयी राशि (₹)**
2021-22	3298 to 3303,3923 to 3942,4144 to 4148,4166,4167,4484 to 4501,4654 to 4656	2823,2832,2863,2843	1114673
2022-23	10161 to 10296 , 10302,10308,10329, 10623 to 10648	2924,2963,2895	1111304
Total			**2225977**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-36 दिनाँक 16-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः बिना पूर्ण औचारिकताओं के निर्माण/विकास कार्यों को निष्पादित करने व उनका भुगतान करने के सन्दर्भ में पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही निर्माण कार्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख को

अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9. **स्वच्छ भारत मिशन (SBM) निधि से मशीनरी के क्रय करने से सम्बन्धित पाई गई अनियमित्ताओं बारे :-**

(क) सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के आदेशों की अवेहलना करके ₹10.66 लाख की सामग्री पर व्यय करने बारे :-

सचिव, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या file No –RDD-XEN-/2018 –e-tendring दिनाँक जुलाई 2018 के अनुसार ₹5.00 लाख से अधिक के सामान के क्रय करने हेतु e-Tendering की प्रक्रिया को अपनाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत खरगा के विभिन्न भुगतान वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि संलग्न विवरणानुसार कुल ₹1066000/- की मशीनरी जिसका स्वीकृत मूल्य ₹5.00 लाख से अधिक था उस सामान के क्रय करने हेतु e-Tendering प्रक्रिया न अपना करके साधारण कोटेशन आमंत्रित की गयी थी तथा साथ ही टेंडर सम्बन्धी सूचना (Tender Notice), किसी प्रतिष्ठित व राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की गई थी, जोकि जानबूज कर e-Tendering को दर किनार करके किसी विक्रेता विशेष को अनुचित लाभ दिए जाने की स्थिति को परिलक्षित करता है, जिस कारण क्रय किए गए सामान में दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-38 दिनाँक 16-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत : नियमानुसार e-Tendering प्रक्रिया को न अपनाकर के साधारण कोटेशन आमंत्रित करना एक ही विक्रेता को अनुचित लाभ दिए जाने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अतः सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश व नियमों की अनुपालना न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए व मामला विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ छानबीन हेतु विशेष रूप से लाया जाता है और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई उपरान्त इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	वाउचर संख्या - दिनाँक	मद का नाम	मात्रा	दर (₹)	भुगतान की गयी राशि @ 50% + 18 % GST Extra (₹)
1	Precious techno Engineering laxmi Nagar Delhi	TSC/2021-22/P/1-14/07/21	Sanitary Napkins Plastic shredder Machine 15 kg	1	190000	95000
2	Precious techno Engineering laxmi Nagar Delhi	TSC/2021-22/P/2-14/07/21	Plastic shredder machine 5 HP	1	520000	260000
3	Smartenviro system pvt. Ltd.	TSC/2021-22/P/3-14/07/21	Compositing Machine Modell-smart xpress-250	1	1422000	711000
	Total				**2132000**	**1066000**

(ख) मशीनरी के क्रय प्रकरण में पाई गई अनियमितता :-

ग्राम पंचायत खरगा, खण्ड निरमंड के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दो मशीने अर्थात Plastic shredder machine 5 HP व sanitary napkin Incinerator क्रमशः **₹ 520000** व **₹190000** (माल एवं सेवा कर सहित) एक ही फ़र्म Precious techno Engineering, laxmi Nagar , Delhi के बिल संख्या PTE/21-22/105 दिनाँक 28-06-21 द्वारा क्रय की गयी थी परंतु इस क्रम से सम्बन्धित निविदाओं के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त फ़र्म द्वारा अपनी निविदा में Plastic shredder machine 5 HP का मूल्य **₹190000** तथा sanitary napkin Incinerator का मूल्य **₹520000** (दोनों माल एवं सेवा कर सहित) अंकित किया गया था अर्थात फ़र्म द्वारा पहली मशीन के निवेदित मूल्य पर दूसरी मशीन तथा दूसरी मशीन के निवेदित मूल्य पर पहली मशीन की आपूर्ति की गयी थी । अंकेक्षण को प्रस्तुत अन्य फ़र्मों की निविदाओं के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त क्रय हेतु तीन फ़र्मों से दरें प्राप्त हुई थी तथा निविदाओं का मूल्यांकन मूल रूप से निविदा में quoted दर के आधार पर ही किया गया था तदानुसार ही उक्त फ़र्म द्वारा (जिसकी दरें न्यूनतम पाई गई थी) मशीनरी की आपूर्ति व बिलिंग अपेक्षित थी । तीनों फ़र्मों द्वारा निवेदित दरों का उल्लेख निम्न तालिका अनुसार है ।

Sr. No	Machinery Name	Precious Techno Engineering laxmi Nagar, Delhi (₹)	Aqua cooling , laxmi Nagar, Delhi (₹)	Lab and Search Technology (₹)
1	Plastic shredder machine 5 HP	190000	225000	344000
2	Sanitary napkin Incinerator	520000	800000	954000

उपरोक्त प्रकरण से स्पष्ट है कि पंचायत स्तर पर फ़र्म द्वारा प्रस्तुत बिल को यथावत ही भुगतान कर दिया गया जबकि बिल में दर्ज मूल्य का निवेदित दर से मिलान आवश्यक था । अत : उपरोक्त बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए क्योंकि ऐसी परिस्थिति में किसी भी गंभीर अनियमितता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

(ग) स्वच्छ भारत मिशन (SBM) निधि से ₹10.66 लाख की मशीनरी की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्त्यापित न करने बारे :-

ग्राम पंचायत खरगा, खण्ड निरमंड के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ठोस कचरा प्रबंधन के अंतर्गत तीन मशीनरी के क्रय करने हेतु ₹1066000 की राशि प्राप्त हुई थी जिसका 50 % भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा पहले कर दिया गया था तथा शेष 50% की राशि का भुगतान वर्ष 2021-22 में किया गया था । जबकि सम्बन्धित मशीनों के स्टॉक की जांच में पाया गया कि इन मशीनों को ग्राम पंचायत खरगा के स्टॉक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 032, 033 में दर्ज किया गया था परन्तु सचिव व प्रधान द्वारा स्टॉक प्रविष्टि की सत्यापना नहीं की गयी थी जोकि अनियमित व अनुचित प्रतीत होता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-38 दिनाँक 16-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अत : इन मशीनों की स्टॉक प्रविष्टियों की सत्यापना न करने के कारणो को स्पष्ट किया जाए तथा उचित सक्षम अधिकारी से सत्यापित करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10. (क) मद संख्या 12 जो वस्तुतः " Providing and fixing 20mm thick Plain framed panelling with necessary screws etc. with 1st class kail wood " के निष्पादन में सम्भावित ₹0.47 लाख का अनियमित / अधिक भुगतान ।

निर्माण कार्य का नाम	Completion of meeting Hall second floor GP Kharga.
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	8168/ 45-49
अनुमानित लागत	₹ 1000000
समापन लागत	₹ 1000000

मापन पुस्तिका संख्या 8168 के पेज़ संख्या 48 पर, मद संख्या -12 में जो वस्तुतः **"Providing and fixing 20mm thick Plain framed panelling with necessary screws etc. with 1st class kail wood"** हेतु Meeting Hall की दीवारों व कॉलम पर लकड़ी की Panelling करने हेतु मीटिंग Hall की प्रत्येक दीवार व कॉलम का माप लिया गया था परन्तु मीटिंग हाल के प्राक्कलन (estimate) के अनुसार मीटिंग हाल में 10 खिड़कियाँ व 2 दरवाजें है जिसमें लकड़ी की Panelling का प्रयोग नहीं किया गया था जिस कारण मीटिंग हाल हेतु लिए गए कुल माप से 10 खिड़कियाँ व 2 दरवाजे की मात्रा को घटाना अपेक्षित था परन्तु माप पुस्तिका में Door व Window की Deduction नहीं की गयी थी जिस कारण उस कार्य पर वास्तविक खर्च की ई राशि से **₹46973** की राशि का अधिक खर्च किया गया था जोकि अनुचित प्रतीत होता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

Quantity of Plain framed panelling with necessary screws etc. For walls and coloum As Per MB	Quantity of Deduction of wnidow and Doors as per estimate	Quantity of Plain framed panelling with necessary screws etc. For walls and coloum(Actualy required to be executed)	excess quantity entered in MB
1x 6.2x2.7=16.74 2x14.2x2.7=76.68 2x2.6x2.7=14.04 2x3.6x2.7=19.44 3x3.45x2.70=27.945 12x0.45x2.70=14.58 25x0.45x2.70=30.375	10x1.5x1.5=22.5 Sqm 2x0.9x2.4=4.32 Sqm	1x 6.2x2.7=16.74 2x14.2x2.7=76.68 2x2.6x2.7=14.04 2x3.6x2.7=19.44 3x3.45x2.70=27.945 12x0.45x2.70=14.58 25x0.45x2.70=30.375 Total = 199.8 Deduction D and W :-10x1.5x1.5=22.5 Sqm 2x0.9x2.4=4.32 Sqm Total = 199.8 - 22.5-4.32=172.98	
Total = 199.8x1.05=209.79 Sqm	Total =26.82 Sqm	Total = 172.98x1.05=181.629 Sqm	Total = 28.161 Sqm
Excess Amount Paid = 28.158 x 1668 =46972.55 or say 46973			

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-37 दिनाँक 16-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत : कार्य के Estimate के अनुसार मद संख्या 12 में जो वस्तुतः " **Providing and fixing 20mm thick Plain framed panelling with necessary screws etc. with 1st class kail wood** " में अपेक्षित दरवाजे व खिड़की के माप की Deduction को न करने को नियमों के अनुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गयी राशि ₹46973.00 की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत, अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹1.35 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनाँक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को **₹134927** का अधिक भुगतान किया गया था।

क्र०सं०	मद का नाम	मात्रा CFT	मात्रा	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	राशि (₹)
1	Sand	47140	1334.062	1.62	2161	140086
2	Agg.	28375	803.0125	1.52	1221	84655
3	Brics	0	42835 No	0	0	2142
4	Stone	0	62.50 Cum	2.24	140	8848
					Total	**235731**
Total Royalty =235731 – 100804=134927						

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-39 दिनाँक 19-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ठेकेदार /सप्लायर से रॉयल्टी की राशि अवधि 01-04-21 से 31-03-23 तक नहीं वसूली गयी थी जिसे सम्बन्धित ठेकेदार /सप्लायर से वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अतः दिए गए आश्वासन अनुसार कि रॉयल्टी की राशि को उचित स्रोत से वसूली करके सम्बन्धित विभाग में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(ग) स्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.29 लाख का संविदाकार को अनियमित भुगतान करने बारे :-

सचिव, ग्राम पंचायत खरगा द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की पड़ताल करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों/ठेकेदारों को निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने हेतु बिलों का भुगतान किया गया था। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति/फर्म/संविदाकार के द्वारा प्रस्तुत भुगतान बिलों से स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था। परंतु ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान **₹ 29069** की स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। जिसका विवरण **परिशिष्ट (छ)** में दिया गया है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-39 दिनाँक 19-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कटौती न करने के कारण ठेकेदार को किए गए अधिक भुगतान की राशि को वसूल करके सम्बन्धित सरकारी विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अतः सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए आश्वासन अनुसार राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

11. कोटेशन में दर्ज की गयी दरों से अधिक दर पर बिल प्रस्तुत करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹0.36 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत खरगा खण्ड निरमंड, जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 1-04-21 से 31-03-23 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए angle व सरिये की आपूर्ति करने हेतु कोटेशन आमंत्रित की गयी थी जिसमें मेसर्ज Ganpat ram Prem Chand, Rampur Bushehar की दर निम्न पाई गई परन्तु उपरोक्त आपूर्तिकर्ता द्वारा angle व सरिये की आपूर्ति के समय बिल पर अधिक दर दी गयी थी जोकि नियमानुसार अनुचित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि भुगतान करते समय नियमानुसार बिल को फर्म द्वारा "Quoted Rates" पर प्रतिबद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाना आपेक्षित था परन्तु ऐसा न करके सम्बन्धित फर्म को अनुचित लाभ पहुँचाया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार पंचायत द्वारा मेसर्ज Ganpat ram Prem Chand , Rampur Bushehar द्वारा प्रस्तुत बिलों पर ₹36998 का अनियमित भुगतान किया गया था। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्र0 सं0	निधि	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनाँक	मद का नाम	मात्रा	प्रस्तुत बिल में दर (₹)	कोटेशन में दी गयी दर (₹)	अधिक भुगतान की गयी राशि (₹)
1	मनरेगा	Ganpat ram Prem Chand, Rampur Bushehar	3620/11-08-21	Angle 40x 5	1074 Kg	56.00+ 18% GST = 70970	46.50 + 18% GST = 58930	**12040** (70970-58930)
2	मनरेगा	Ganpat ram Prem Chand, Rampur Bushehar	4704/21-09-21	Steel 10 mm	50 Kg	56.20+ 18% GST = 3316	47.50 + 18% GST = 2803	**513** (3316-2803)
3	मनरेगा	Ganpat ram Prem Chand, Rampur Bushehar	4703/21-09-21	Angle 40x 5	550 Kg	56.00+ 18% GST = 36344	46.50 + 18% GST = 30178	**6166** (36344-30178)
4	मनरेगा	Ganpat ram Prem Chand, Rampur Bushehar	8570/24-03022	Angle 40x 5	300 Kg	69.00+ 18% GST = 24426	46.50 + 18% GST = 16461	**7965** (24426-16461)
			8570/24-03022	Angle 35 x 5	380 kg	69.00+ 18% GST = 30940	46.00 + 18% GST = 20626	**10314** (30940-20626)
						165996		**36998**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-39 दिनाँक 19-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अधिक भुगतान की राशि को वसूल करके सम्बन्धित निधि में जमा करवा दिया जाएगा। अत : इस प्रकार के अन्य भुगतानों की जांच की जाँच विभागीय स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए व दिए गए आश्वासन अनुसार उपरोक्त भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत पंचायत निधि में जानी सुनिश्चित करवाई जाए।

12. निर्माण कार्य में दोहरी हाजिरी (Double Attendance) लगाने के कारण ₹0.07 लाख अनियमित व अनुचित लाभ प्रदान करने बारे :-

ग्राम पंचायत खरगा, खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 1-04-21 से 31-03-23 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा एक ही तिथि में विभिन्न कार्यों हेतु मस्ट्रोल जारी किए गये थे जिसमे काम करने वाले मजदूरों को एक ही तिथि में एक से अधिक मस्ट्रोल में हाजिरी दर्ज की गयी थी जबकि नियमानुसार एक समय में व्यक्ति एक ही कार्य में उपस्थित हो सकता है जिसका विवरण संलग्न है । इस प्रकार पंचायत द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को एक समय में एक से अधिक कार्यों में उपस्थित होने के कारण **₹7350** का अनियमित व अनुचित भुगतान किया गया था जिसकी जाँच ग्राम पंचायत द्वारा न ही मस्ट्रोल जारी करते समय की गयी तथा न ही मस्ट्रोल का भुगतान करते समय की गई। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य में दोहरी हाजिरी (Double Attendance) के लाभ प्रदान किए गए जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है तथा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के प्रयास को भी दर्शाता है। उक्त मामले में नियमानुसार कार्यवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	निधि का नाम	मस्ट्रोल संख्या	मस्ट्रोल जारी करने की तारीख	कार्य का नाम	व्यक्ति का नाम	कार्य करने की अवधि	मस्ट्रोल में उपस्थित दिनों की संख्या	दोहरी हाजरी वाले दिनों की संख्या	भुगतान दर	भुगतान राशि (₹)
1	RGSA	20439	6/10/2022	निर्माण CSC खरगा	श्री मति अनीता देवी पत्नी श्री योगराज खरगा	07-10-22 से 31-10-22	17 दिन			
					श्री मति तुला देवी पत्नी श्री संतोष खरगा	07-10-22 से 31-10-22	17 दिन			

					श्री मति तिला देवी पत्नी श्री गोपाल खरगा	07-10-22 से 31-10-22	13 दिन			
					श्री पूर्ण चंद पुत्र श्री दौलत राम खरगा	07-10-22 से 31-10-22	19 दिन			
2	15 th FC	20432	6/10/2022	निर्माण ड्रेन व चक्का टाइल अमर चंद के घर से योग राज के घर तक	श्री मति अनीता देवी पत्नी श्री योगराज खरगा	07-10-22 से 31-10-22		6 दिन	350	2100
					श्री मति तुला देवी पत्नी श्री संतोष खरगा	07-10-22 से 31-10-22		5 दिन	350	1750
					श्री मति तिला देवी पत्नी श्री गोपाल खरगा	07-10-22 से 31-10-22		4 दिन	350	1400
					श्री पूर्ण चंद पुत्र श्री दौलत राम खरगा	07-10-22 से 31-10-22		6 दिन	350	2100
									कुल योग	**7350**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-39 दिनाँक 19-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस सम्बन्ध में उचित जांच की जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत : इन कार्यों की जाँच पंचायत स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए तथा इन व्यक्तियों/ मजदूरों द्वारा किए गए वास्तविक कार्य की भुगतान राशि ही प्रदान की जाए तथा अतिरिक्त राशि की वसूली करके सम्बन्धित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. मनरेगा निधि से ₹0.02 लाख का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत खरगा, खण्ड निरमंड, जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 1-04-21 से 31-03-23 के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि के व्यय वाउचरो की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्य हेतु जारी मस्ट्रोल में व्यक्तियों द्वारा किए गए वास्तविक कार्यों दिवसों से अधिक कार्य दिवसों के लिए भुगतान किया गया था जिस कारण पंचायत द्वारा विभिन्न मस्ट्रोलों पर ₹2120 की राशि का भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	निधि	वाउचर संख्या	मस्ट्रोल संख्या/दिनाँक	कार्य का नाम	कार्य की अवधि	कुल भुगतान की गयी राशि (₹)	भुगतान योग्य वास्तविक राशि (₹)	अधिक भुगतान की गयी राशि (₹)
1	मनरेगा	568	10167/29-03-23	C/o Drain khet to peda village Naal	10/3/2023 to 25-03-23	27560	26500	1060
2	मनरेगा	582	10188/09-03-23	C/o Drain /pucca path khadlu bai to upper kumahar	10/3/2023 to 25-03-23	13780	12720	1060
			कुल योग			**41340**	**39220**	**2120**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-39 दिनाँक 19-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस सम्बन्ध में उचित जांच की जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत : इन कार्यों की जाँच पंचायत स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए तथा मनरेगा निधि से किए गए वास्तविक कार्य की भुगतान राशि ही प्रदान की जाए तथा अतिरिक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्रोत पर जी0 एस0 टी0, टी0 डी0 एस0 की कटौती न करने के कारण ₹ 0.05 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश जी0 एस0 टी0 अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि0प्र0 आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part-(278/25)-2950 दिनाँक 28-09-2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति /फ़र्म /संस्था /स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (person/HUF/Firm/Local authority /govt. deductor) द्वारा संविदाकार, संविदाकार व्यक्ति, फ़र्म को सेवाएँ तथा वस्तुएँ प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1 %सी0जी0एस0टी0 +1% एस0जी0एस0टी0 –अंतर्राज्यीय आपूर्ति

तथा 2%आई0जी0 एस0 टी0 –अंतरराजीय आपूर्ति)की दर से जी0 एस0 टी0, टी0 डी0 एस0 की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फ़र्म/संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवानी अपेक्षित है । सचिव द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 तथा 2022-23 में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को निर्माण कार्यों हेतु सामग्री की आपूर्ति तथा निर्माण कार्यों को करने हेतु ₹252000 की राशि भुगतान किया गया था इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान स्रोत पर **₹5040** की राशि की जी0 एस0 टी0, टी0 डी0 एस0 के रूप में कटौती नहीं की गई थी । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	**आपूर्तिकर्ता**	**वाउचर संख्या -दिनाँक**	**मद का नाम**	**भुगतान राशि**	**कटौती की दर**	**राशि (₹)**
1	DD Steel Fabrication	LDP/2022-23/P/29	Pine Pannel	252000	2%	5040

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-39 दिनाँक 19-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस सम्बन्ध में उचित जांच की जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत: उपरोक्त प्रकरण को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

15. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न अप्लिकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्रवाई जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत खरगा, विकास खण्ड निरमंड, जिला कुल्लू (हि० प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया

कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फर्नीचर फिटिंग ही दर्ज की गयी थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे। इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, अलमारी, सोफा सेट, टेबल, Bed, क्रॉकरी इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमें दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 9 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2023) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अन्तर्गत दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन ही नहीं बल्कि पंचायत सचिव की लापरवाही भी है जोकि गंभीर अनियमितता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-32 दिनाँक 13-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करने के कारणो को स्पष्ट किया जाये तथा शीघ्र ही दर्ज करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16. भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि होने बारे।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत खरगा, विकास खण्ड निरमंड, जिला कुल्लू (हि० प्र०) में भू-राजस्व की जो राशि वर्ष में दो बार खरीफ फसल तथा रवी फसल

के दौरान लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती है केवल उसे ही पंचायत की आय में जमा करवाया जाता है। परंतु भू-राजस्व की राशि प्रति वर्ष प्राप्त नहीं होती बल्कि दो या तीन वर्ष में एक बार ही प्राप्त की गई थी। ग्राम पंचायत खरगा द्वारा अभी तक वर्ष 2021-22 की एक किश्त प्राप्त की गयी थी जबकि 2022-23 में नंबरदार से कोई राशि प्राप्त नहीं की गयी थी। जांच में आगे यह पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा है। जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे की यह पता लगाया जाता की पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके। अतः पंचायत सचिव द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचायत को अनुवर्ती नुक्सान भी हो रहा है तथा न ही सम्बन्धित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी अंकेक्षण के दौरान जांच की जा सके।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-34 दिनाँक 16-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खरगा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत : भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाये जाने के कारण स्पष्ट किये जाए तथा शेष राशि की वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। अत: सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के

कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
3	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
7	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना

अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19. **लघु आपति विवरणिका:-**यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20. **निष्कर्ष:-**लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

03 JUL 2024

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष नं0—0177—2626670

3136-3140 03 JUL 2024

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(पंच)(XV)(3)79/2024—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
5. (पंजीकृत) सचिव, ग्राम पंचायत खरगा, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

03 JUL 2024

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष नं0—0177—2626670

परिशिष्ट (क) पैरा संख्या 5 (i) के संदर्भ में

Financial position of Own Sources and 5th state of Gram Panchyat Kharga					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	1421858.26	355097	1776955.26	798276.7	978678.56
2022-23	978679	397336	1376014.56	286151	1089863.56

परिशिष्ट (ख) पैरा संख्या 4(ii) के संदर्भ में

Financial position of grants including 14 th Fc of Gram Panchyat Kharga					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2021-22	3164397	4879999	8044396	6299157	1745239
2022-23	1745239.0	3209292	4954531	4016518	938013

परिशिष्ट (ग) पैरा संख्या 4 (iii) के संदर्भ में

Financial position of 15 th FC of Gram Panchyat Kharga					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	802902	1066108	1869010	0	1869010
2022-23	1869010	1361360	3230370	1468807.00	1761563.00

परिशिष्ट (छ) पैरा संख्या 4 बैंक समाधान विवरणी के सम्बन्ध में

Bank Account Detail GP Kharga				
Sr. No	Account No	Bank Branch Name	Account Head Name	Closing Balance
1	50071889673	KCC Bank Branch Brow	15th FC	1774163
2	20038006556	KCC Bank Branch Brow	Sabha Fund	1302724
3	50068956090	KCC Bank Branch Brow	Lada	57401
4	50072197794	KCC Bank Branch Brow	SBM	0
5	50070007761	KCC Bank Branch Brow	RGSA	57673
6	50072141195	KCC Bank Branch Brow	PMAGY	7942
7	50053548984	KCC Bank Branch Brow	14th FC	71214
8	88340100013053	HGB Bank Branch Jagatkhana	MMAY	2912
9	88340100024961	HGB Bank Branch Jagatkhana	Planing	1075378.62
10	Total			**4349407.62**

सचिव
ग्राम पंचायत खरगा
विकास खण्ड निरमण्ड
जिला कुल्लू (हि०)

परिशिष्ट (ड) पैरा संख्या 6 (ड) के संदर्भ में

गृहकर वर्ष 2021–22 व 2022–23 ग्राम पंचायत खरगा।

वर्ष	अंतिम वर्ष का शेष	निर्धारित राशि	कुल परिवार	वसूल की जाने वाली राशि	संग्रहित राशि	वर्ष के अंत में शेष
2021-22	12000	100	486	60600	20600	40000
2022-23	40000	100	490	89000	0	89000

(आ) 32

परिशिष्ट (च) प्रश्न संख्या 7 के सदर्भ में

विकास कार्यों की सूचि ग्राम पंचायत खरगा					
कमांक	विकास कार्यों का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि	शेष राशि	स्वीकृति दिनांक
1	निर्माणाधीन सभा कक्ष द्वितीय मंजिल पंचायत भवन खरगा (LDP)	1000000.00	1000006.00	-6.00	03-01-22
2	निर्माण सामुदायिक भवन टिकरी **(CSR)**	1040697.00	1038627.00	2070.00	17-09-22
3	नि0 सामुदायिक सेवा केन्द्र खरगा (RGSA)	500000.00	499844.00	156.00	21-01-22
4	नि0 प0 रा0 काजू खडड् से मस्त राम के घर तक (PMAGY)	500000.00	394629.00	207964.00	23-11-20
5	नि0 एम्बुलैंस सड़क सौरा–आगै से सौर (LDP)	1000000.00	999656.00	795777.00	03-01-22

सचिव
ग्राम पंचायत खरगा
विकास खण्ड निरमण्ड
जिला कुल्लू (हि.प्र.)

परिशिष्ट (इ) पैरा संख्या 10 (ग) के संदर्भ में

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	कटौती की दर	राशि
	MG NREGA Head					
1	Dinesh Kumar (contractor and Supplier) Village Tharwa P.O. Kharga Teh Nirmand	006/19-05-21	Sand	18018	1%	180
2	do	008/25-05-21	Agg	16650	1%	167
3	do	009/03-06-21	Sand	15015	1%	150
4	do	011/11-06-21	Sand	14873	1%	149
5	do	012/12-06-21	Sand	15916	1%	159
6	do	013/13-06-21	Sand	23585	1%	236
7	do	014/14-06-21	Sand	14322	1%	143
8	do	015/15-06-21	Sand	9222	1%	92
9	do	017/18-06-21	Agg	4325	1%	43
10	do	018/19-06-21	Agg	13050	1%	131
11	do	020/21-06-21	Sand	4500	1%	45
12	do	025/07-07-21	Sand	20640	1%	206
13	do	026/08-07-21	Agg	21070	1%	211
14	do	027/09-07-21	Sand	10560	1%	106
15	do	028/09-07-21	Agg	5880	1%	59
16	do	029/10-07-21	Sand	12000	1%	120
17	do	030/10-07-21	Agg	6860	1%	69
18	do	031/11-07-21	Sand	4800	1%	48
19	do	032/12-07-21	Sand	13440	1%	134
20	do	033/12-07-21	Agg	7840	1%	78
21	do	034/13-07-21	Sand	13440	1%	134
22	do	035/13-07-21	Agg	7840	1%	78
23	do	036/14-07-21	Sand	13440	1%	134
24	do	037/14-07-21	Agg	15680	1%	157
25	do	038/15-07-21	Sand	13440	1%	134
26	do	039/16-07-21	Sand	13440	1%	134
27	do	040/16-07-21	Agg	7840	1%	78
28	do	041/17-07-21	Sand	13440	1%	134
29	do	042/17-07-21	Agg	7840	1%	78
30	do	043/18-07-21	Sand	13440	1%	134
31	do	045/19-07-21	Sand	17760	1%	178
32	do	046/20-07-21	Sand	25920	1%	259
33	do	044/18-07-21	Agg	7840	1%	78
34	do	047/21-07-21	Sand	20160	1%	202
35	do	048/22-07-21	Sand	13440	1%	134
36	do	049/22-07-21	Agg	7840	1%	78
37	do	050/23-07-21	Sand	7200	1%	72
38	do	051/24-07-21	Sand	13440	1%	134
39	do	052/24-07-21	Agg	7840	1%	78

40	do	053/25-07-21	Sand	22560	1%	226
41	do	054/26-07-21	Agg	7840	1%	78
42	do	055/27-07-21	Sand	22560	1%	226
43	do	056/28-07-21	Agg	7840	1%	78
44	do	057/29-07-21	Sand	22560	1%	226
45	do	058/30-07-21	Agg	7840	1%	78
46	do	059/31-07-21	Sand	20640	1%	206
47	do	060/01-08-21	Agg	21070	1%	211
48	do	061/02-08-21	Sand	20640	1%	206
49	do	062/02-08-21	Agg	21070	1%	211
50	M.R. Kashyap VPO Jhakri the. Rampur	357/04-08-21	Brics	38237	1%	382
51	do	359/04-08-21	stone	52500	1%	525
52	do	367/05-08-21	Brics	38237	1%	382
53	do	368/05-08-21	Brics	38237	1%	382
54	Dinesh Kumar (contractor and Supplier) Village Tharwa P.O. Kharga Teh Nirmand	067/05-09-21	Sand	21600	1%	216
55	do	068/06-09-21	Agg	7840	1%	78
56	do	069/06-09-21	Sand	14400	1%	144
57	do	070/07-09-21	Agg	8820	1%	88
58	do	071/07-09-21	Sand	15840	1%	158
59	do	072/08-09-21	Agg	14700	1%	147
60	do	073/09-09-21	Sand	9600	1%	96
61	do	104/16-11-21	Sand	14400	1%	144
62	do	105/16-11-21	Sand	17760	1%	178
63	do	106/17-11-21	Sand	17760	1%	178
64	do	107/17-11-21	Sand	16800	1%	168
65	do	108/17-11-21	Sand	15840	1%	158
66	do	109/18-11-21	Sand	17760	1%	178
67	do	110/18-11-21	Sand	17760	1%	178
68	do	111/19-11-21	Sand	14400	1%	144
69	do	112/19-11-21	Sand	17760	1%	178
70	do	113/20-11-21	Sand	17760	1%	178
71	do	114/20-11-21	Sand	15360	1%	154
72	do	115/21-11-21	Sand	14400	1%	144
73	do	116/21-11-21	Agg	7840	1%	78
74	do	117/22-11-21	Sand	15360	1%	154
75	do	118/22-11-21	Sand	14400	1%	144
76	do	119/23-11-21	Agg	7840	1%	78
77	do	138/07-03-22	Sand	20400	1%	204
78	do	142/12-03-22	Sand	6720	1%	67
79	do	143/13-03-22	Sand	35520	1%	355
80	do	145/17-03-22	Sand	16800	1%	168
81	do	146/18-03-22	Sand	13920	1%	139

82	do	139/09-03-22	Agg	22050	1%	221
83	do	141/11-03-22	Agg	6370	1%	64
84	do	144/15-03-22	Agg	28910	1%	289
85	do	147/19-03-22	Agg	5390	1%	54
92	Pratap Singh Govt. contractor & supplier Vill. Kadel P. O. Kharga teh nirmand	131/02-07-22	Sand	15725	1%	157
93	do	132/03-07-22	Sand	15725	1%	157
94	do	133/04-07-22	Sand	15725	1%	157
95	do	141/11-07-22	Sand	23100	1%	231
96	do	142/11-07-22	Agg	21200	1%	212
97	do	139/09-07-22	Sand	23100	1%	231
98	do	140/10-07-22	Agg	21200	1%	212
99	do	157/20-07-22	Sand	30800	1%	308
100	do	137/07-07-22	Sand	13750	1%	138
101	do	138/07-07-22	Agg	5830	1%	58
102	do	135/05-07-22	Agg	9540	1%	95
103	do	136/06-07-22	Sand	22000	1%	220
	General Head					0
104	Dinesh Kumar (contractor and Supplier) Village Tharwa P.O. Kharga Teh Nirmand	063/16-08-21	Agg	32830	1%	328
105	do	064/18-08-21	Agg	32340	1%	323
106	do	065/20-08-21	Sand	32160	1%	322
107	do	066/22-08-21	Sand	17760	1%	178
108	do	097/29-09-21	Sand	13920	1%	139
109	do	094/28-09-21	Agg	8330	1%	83
110	do	098/30-09-21	Agg	18130	1%	181
111	do	099/30-09-21	Agg	7840	1%	78
112	do	092/26-09-21	Agg	18130	1%	181
113	do	096/29-09-21	Sand	12960	1%	130
114	do	093/27-09-21	Sand	17760	1%	178
115	do	095/28-09-21	Sand	11040	1%	110
116	do	005/14-05-21	Sand	18130	1%	181
117	do	016/22-06-21	Agg	7840	1%	78
118	do	123/28-01-22	Sand	7200	1%	72
119	do	125/02-02-22	Agg	7350	1%	74
120	do	124/30-01-22	Sand	7200	1%	72
121	M.R. Kashyap VPO Jhakri the. Rampur	290/18-02-22	brics	36955	1%	370
122	Dinesh Kumar (contractor and Supplier) Village Tharwa P.O. Kharga Teh Nirmand	131/25-02-22	Sand	9600	1%	96
123	do	133/27-02-22	Agg	2940	1%	29
124	do	130/25-02-22	Sand	5280	1%	53

125	do	129/25-02-22	Sand	2880	1%	29
126	do	132/27-02-22	Agg	4900	1%	49
127	do	136/02-03-22	Sand	17760	1%	178
128	do	137/03-03-22	Agg	18130	1%	181
129	do	126/13-02-22	Sand	13440	1%	134
130	do	128/14-02-22	Agg	11270	1%	113
131	M.R. Kashyap VPO Jhakri the. Rampur	375/18-03-22	brics	22800	1%	228
132	Dinesh Kumar (contractor and Supplier) Village Tharwa P.O. Kharga Teh Nirmand	149/23-03-22	Sand	6720	1%	67
133	do	148/21-03-22	Agg	18130	1%	181
134	do	150/25-03-22	Agg	8820	1%	88
136	Pratap Singh Govt. contractor & supplier Vill. Kadel P. O. Kharga teh nirmand	103/02-05-22	Agg	14405	1%	144
137	do	104/03-05-22	Sand	15950	1%	160
138	do	161/24-07-22	Sand	6050	1%	61
139	do	158/21-07-22	Sand	14850	1%	149
140	do	159/22-07-22	Agg	12190	1%	122
141	do	143/12-07-22	Agg	127200	1%	1272
142	do	144/13-07-22	Sand	59500	1%	595
143	do	155/16-07-22	Shuttering	22000	1%	220
144	do	163/01-09-22	Shuttering	24490	1%	245
146	Pratap Singh Govt. contractor & supplier Vill. Kadel P. O. Kharga teh nirmand	185/03-10-22	Sand	33000	1%	330
147	do	186/04-10-22	Agg	31800	1%	318
148	do	206/25-01-23	Sand	63750	1%	638
149	do	208/28-01-23	Agg	117600	1%	1176
150	do	202/23-01-23	Sand	4990	1%	50
151	do		Agg	6890	1%	69
152	do	203/23-01-23	Sand	38250	1%	383
153	do	201/23-01-23	Agg	62720	1%	627
154	do	106/17-05-22	Sand	18150	1%	182
155	do	107/18-05-22	Agg	12720	1%	127
156	do	124/21-05-22	stone	10900	1%	109
157	do	110/19-05-22	Sand	16500	1%	165
158	do	111/20-05-22	Agg	30210	1%	302
159	do	108/19-05-22	Sand	8800	1%	88
160	do	109/19-05-22	Agg	6890	1%	69
161	do	112/20-05-22	Agg	6360	1%	64
162	do	113/20-05-22	Sand	11000	1%	110
163	do	114/20-05-22	Sand	10625	1%	106
164	do	115/20-05-22	Agg	25440	1%	254

165	do	116/20-05-22	Sand	4250	1%	43
166	do	118/20-05-22	Sand	8800	1%	88
167	do	119/20-05-22	Agg	11660	1%	117
168	do	120/20-05-22	Sand	16500	1%	165
169	do	121/20-05-22	Agg	11660	1%	117
170	do	123/21-05-22	Sand	5100	1%	51
171	do	190/21-10-22	Sand	14450	1%	145
172	do	191/22-10-22	Agg	10600	1%	106
173	do	188/20-10-22	Sand	8800	1%	88
174	do	189/21-10-22	Agg	5830	1%	58
	Total			**2906877**		**29069**

Santosh Kumar
Junior Auditor
HP SAD Shimla